**न्यायालय :– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जहाजपुर, जिला भीलवाडा**

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | : | श्री राजीव चौधरी, आर0जे0एस0 |
| प्रकरण संख्या | : | 125/2024 मु•फौ• |
| CNR NUM. | : | RJBW15-000279-2024 |

1. श्रीमती आरती पत्नी सोनू, आयु वयस्क, निवासी गणेशपुरा हाल पुत्री राजेन्द्र कुमार मीणा निवासी नवरतनपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0।

**—— प्रार्थीया**

:: **बनाम** ::

1. सोनू मीणा पिता रतिराम, आयु वयस्क, निवासी गणेशपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0। **—— अप्रार्थी**

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 दं0प्र0सं0** ::

**उपस्थितः–**

1– श्री बद्री लाल मीणा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

2– अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही।

:: **आदेश** :: **दिनांक : 26.05.2026**

**1.** प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया श्रीमती आरती पत्नी सोनू, आयु वयस्क, निवासी गणेशपुरा हाल पुत्री राजेन्द्र कुमार मीणा निवासी नवरतनपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0 ने विरुद्ध अप्रार्थी सोनू मीणा पिता रतिराम, आयु वयस्क, निवासी गणेशपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0 के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125 जा0फौ0 बाबत् दिलाये जाने भरण–पोषण राशि इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी के साथ दिनांक 18.04.2018 को ग्राम नवरतनपुरा में प्रार्थीया के परिवारजनों व समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ था तभी से प्रार्थीया व अप्रार्थी पति पत्नी के रूप में रहते तथा समाज व परिवार में जाने पहचाने जाते रहे हैं। विवाह के समय प्रार्थीया के माता पिता व रिश्तेदारों के द्वारा उपहार स्वरूप गहने व घरेलु सामान प्रार्थीया को दिये जो अप्रार्थी के पास ही है। प्रार्थीया शादी के समय से ही अपने ससुराल आने जाने लगी प्रार्थीया के साथ अप्रार्थी का व्यवहार शुरू शुरू में अच्छा रहा लेकिन प्रार्थीया के ससुराल वाले दहेज लोभी निकले जो कुछ दिनों के बाद से

प्रार्थीया के अप्रार्थी व उसके परिवार वालों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा और बात बात में गाली गलोच करते लडाई झगड़ा करते और कहते कि हम तुम्हारी बहन को नहीं रखेंगे तुम्हारी बहन मानसिक रूप से सही नहीं है बात बात में गाली गलोच करके प्रार्थीया को मानसिक क्रूरता करते थे। प्रार्थीया परेशान होकर अपने माता पिता को आप बीती सुनाई तो प्रार्थीया के माता पिता ने भी अप्रार्थी व उसके माता पिता को काफी समझाने का प्रयास किया। प्रार्थीया के ससुराल वाले प्रार्थीया को बार बार कहते कि तुम्हारे माता पिता ने शादी में बहुत ही कम दहेज दिया है इस बात का रोज रोज माना मारते रहते। प्रार्थीया ने अप्रार्थी को कहा कि प्रार्थीया के माता पिता गरीब है प्रार्थीया के माता पिता द्वारा पहले ही अपनी हैसियत अनुसार घरेलु सामान दिये थे अब प्रार्थीया को माता पिता और दहेज नहीं दे सकते हैं। अप्रार्थी ने प्रार्थीया को दूसरी औरत लाने की धमकी दी अप्रार्थी कहता कि वह दूसरी औरत लायेगा जिससे अप्रार्थी के माता पिता को बहुत ही अच्छी पत्नी मिलेगी जो ढेर सारा दहेज लायेगी। कहता कि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है। प्रार्थीया को बार बार नाजायज परेशान किया जाता और प्रार्थीया के साथ मारपीट कर परिवाद पेश करने से लगभग दो साल पूर्व प्रार्थीया के जर जेवरात खोल कर मात्र पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया तभी से परिवादिया अपने पीहर ग्राम नवरतनपुरा में अपने माता पिता के पास निवास कर रही है। अप्रार्थी ने प्रार्थीया के जीवित रहते दूसरी औरत अन्जू पुत्री सोराज मीणा निवासी कालाखेत थाना सावर के साथ बिना तलाक दिये दूसरी शादी कर ली और दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। जिनका सहयोग अप्रार्थी के माता पिता ने किया। प्रार्थीया ने अपना स्त्रीधन वापस मांगा जो देने से मना कर दिया। प्रार्थीया को अप्रार्थी द्वारा घर से निकालने के बाद अप्रार्थी ने कभी भी सार संभाल नहीं की एवं ना ही कभी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रयास किया एवं ना ही कभी प्रार्थीया को जीवन निर्वहन के लिए कभी सहयोग किया एवं ना ही भरण पोषण हेतु आर्थिक मदद की जबकि अप्रार्थी का यह विधिक, सामाजिक व नैतिक दायित्व है कि वह है कि वह प्रार्थीया को सामान स्तर के जीवन निर्वहन हेतु आवश्यकता आर्थिक रूप से राशि उपलब्ध करावे। अप्रार्थी के पास का ट्रेक्टर होकर रोजाना 4–5 हजार की आय करता है व अप्रार्थी के 10 बीघा कृषि आराजी है जिससे उसके 5,00,000/– रु की आमदनी होती है जो कि प्रार्थीया को भरण पोषण देने में सक्षम है। प्रार्थीया ग्रामीण की रहने वाली है तथा अप्रार्थी की प्रताड़ना से बीमार रहने लगी साथ रात दिन मानसिक चिन्तन बना रहता है। जिससे प्रार्थीया शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो गयी है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं है प्रार्थीया को अपने जीवन व्यतीत करने के लिए जिससे सामान्यतः भोजन, आवास, कपड़ा, दवाईयां, शिक्षा एवं सामान्य जीवन व्यीत करने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लए

न्यूनतम 20,000/– रू अक्षरे बीस हजार रू प्रतिमाह की आवश्यकता है। जिसे अदा करने में अप्रार्थी पूर्ण सक्षम है।

**2.** अप्रार्थी के बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 30.05.2024 को उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। साक्ष्य प्रार्थीया में प्रार्थीया आरती को ए.ड.–01 के रूप में परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 चार्जशीट, प्रदर्श 2 चाक एफआईआर, प्रदर्श 3 परिवाद, प्रदर्श 4 नोटिस धारा 91 सीआरपीसी, प्रदर्श 5 शादी के फोटोग्राफ व दहेज के सामानों की फोटो व प्रदर्श 6 दहेज फर्द पेशकशी, प्रदर्श 7 लगायत 10 धारा 161 के बयान को प्रदर्शित करवाया गया।

**3.** बहस अंतिम प्रार्थना पत्र एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को उसका पति दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करता था। जिसके कारण वह अपने पीहर में रह रही है एवं उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। जिससे वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। प्रार्थीया को अप्रार्थी से भरण–पोषण दिलाये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

**4. बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भरण पोषण राशि तय करते समय न्यायालय को निम्न बिंदुओं पर विचार करना होता है–**

**i. क्या प्रार्थीया अप्रार्थी की विवाहिता पत्नी है?**

**ii. आया प्रार्थीया ने अप्रार्थी का किसी युक्तियुक्त कारण से परित्याग कर रखा है?**

**iii. आया प्रार्थीया के गुजारा भत्ता हेतु भरण पोषण राशि 20,000/– रुपये प्रतिमाह प्राप्त करने की अधिकारी है?**

**बिन्दु संख्या 01**

**5.** प्रार्थीया का अप्रार्थी की विवाहिता पत्नी होने का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थीया ने स्वयं के प्रार्थना पत्र व बयानों में कथन किया है कि प्रार्थीया का अप्रार्थी के साथ दिनांक 18.04.2018 को ग्राम नवरतनपुरा में उसके परिवारजनों व समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ था। इस संबंध में चूंकि विपक्षी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है, प्रार्थीया के उक्त कथनों का खण्डन नहीं हो पाया है एवं प्रार्थीया के उक्त कथनों के विपरीत पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध

नहीं है। अतः यह प्रमाणित है कि प्रार्थीया अप्रार्थी की विवाहिता पत्नी है।

**<u>बिन्दु संख्या 02</u>**

**6.** इस बिन्दु के संबंध में प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किये हैं कि प्रार्थीया शादी के समय से ही अपने ससुराल आने जाने लगी थी प्रार्थीया के साथ अप्रार्थी का व्यवहार शुरू शुरू में अच्छा रहा लेकिन प्रार्थीया के ससुराल वाले दहेज लोभी निकले जो कुछ दिनों के बाद से प्रार्थीया के अप्रार्थी व उसके परिवार वालों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा और बात बात में गाली गलोच करते लडाई झगड़ा करते, बात बात में गाली गलोच करके प्रार्थीया को मानसिक क्रूरता करते थे। प्रार्थीया परेशान होकर अपने माता पिता को आप बीती सुनाई तो प्रार्थीया के माता पिता ने भी अप्रार्थी व उसके माता पिता को काफी समझाने का प्रयास किया। प्रार्थीया के ससुराल वाले प्रार्थीया को बार बार कहते कि तुम्हारे माता पिता ने शादी में बहुत ही कम दहेज दिया है इस बात का रोज रोज ताना मारते रहते। प्रार्थीया ने अप्रार्थी को कहा कि प्रार्थीया के माता पिता गरीब है प्रार्थीया के माता पिता द्वारा पहले ही अपनी हैसियत अनुसार घरेलु सामान दिये थे अब प्रार्थीया को माता पिता और दहेज नहीं दे सकते हैं। अप्रार्थी ने प्रार्थीया को दूसरी औरत लाने की धमकी दी अप्रार्थी कहता कि वह दूसरी औरत लायेगा जिससे अप्रार्थी के माता पिता को बहुत ही अच्छी पत्नी मिलेगी जो ढेर सारा दहेज लायेगी। कहता कि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है। प्रार्थीया को बार बार नाजायज परेशान किया जाता और प्रार्थीया के साथ मारपीट कर परिवाद पेश करने से लगभग दो साल पूर्व प्रार्थीया के जर जेवरात खोल कर मात्र पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया तभी से परिवादिया अपने पीहर ग्राम नवरतनपुरा में अपने माता पिता के पास निवास कर रही है।

**7.** इस संबंध में प्रार्थीया ने अपने बयानों में स्पष्ट कथन किये हैं कि उसका विवाह अप्रार्थी के साथ ग्राम नवरतनपुरा में सम्पन्न हुआ था। वह शादी के समय से ही ससुराल जाने लगी थी। अप्रार्थी का व्यवहार केवल शुरू शुरू ही अच्छा था फिर दहेज की मांग को लेकर लड़ाई करता था। उसके ससुराल वाले भी उसे परेशान करते थे। प्रार्थीया को अप्रार्थीगण कम दहेज लाने के ताने देते। प्रार्थीया ने कहा कि उसके माता पिता गरीब है वह उन्हे अब दहेज नहीं दे सकते। प्रार्थीया के साथ मारपीट कर उसके गहने व कपड़े छीनकर घर से निकाल दिया। प्रार्थीया के बीमार अवस्था में भी उसके पति ने उसके ईलाज हेतु पैसे नहीं दिये। प्रार्थीया ने कथन किये कि प्रार्थीया के साथ मारपीट कर घर से निकाला इस कारण उसने न्यायालय में आकर मुकदमा दर्ज करवाया। इस प्रकार

प्रार्थीया द्वारा न्यायालय में किये गये कथन उसके प्रार्थना पत्र में किये गये अभिवचनों के समरूप होने से प्रार्थीया के कथनों की पुष्टि होती है।

**8.** इसके अतिरिक्त अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रार्थीया की साक्ष्य भी अखण्डनीय रही है। उक्त गवाह की साक्ष्य से उसका उसके पीहर में रहने के लिए बाध्य होने का तथ्य स्पष्ट होता है। किसी भी महिला से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि उसके ससुराल वालों का एवं उसके पति का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं हो और फिर भी वह ससुराल में ही रहे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का युक्तियुक्त कारण से अपने पति से अलग रहना प्रतीत होता है।

**<u>बिन्दु संख्या 03</u>**

**9.** इस संबंध में प्रार्थीया ने स्वयं के प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वह अप्रार्थी की विवाहिता पत्नी है एवं अप्रार्थी ने उसके साथ दहेज की मांग करके मारपीट कर उसे प्रताड़ित कर उसके घर से बाहर निकाल दिया है, तब से ही वह अपने पीहर में रह रही है। प्रार्थीया के पास आय का कोई जरिया नहीं है। वह स्वयं का भरण पोषण करने में असक्षम है। इस संबंध में प्रार्थीया के बयानों का अवलोकन किया जाये तो उसने अपने बयानों में कथन किया है कि उसका पति उससे दहेज की मांग करता था एवं दहेज की मांग करके उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया तब से ही वह अपने पीहर ही निवास कर रही है। अतः प्रार्थीया अप्रार्थी से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारीणी है। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रार्थीया के उक्त कथन अखण्डित रहे हैं।

**10.** प्रार्थीया ने स्वयं के भरण पोषण हेतु कुल 20,000/– रुपये की मांग की है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी की आय के संबंध में कथन किये हैं कि अप्रार्थी के पास एक ट्रेक्टर है जिससे उसे रोजाना 4–5 हजार की आय होती है। अप्रार्थी के 10 बीघा कृषि आराजी है जिससे भी उसके 5,00,000/– रुपये की आमदनी होती है, परंतु केवल मात्र प्रार्थना पत्र व बयानों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अप्रार्थी की आय प्रार्थीया के बताए अनुसार हो। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी की आय बाबत् ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे साबित होता हो कि अप्रार्थी की आय प्रार्थीया द्वारा बताये अनुसार है। प्रार्थीया अप्रार्थी की विवाहिता पत्नी है ऐसे में यह अप्रार्थी का नैतिक व विधिक दायित्व है कि वह प्रार्थीया का भरण पोषण करे। चूंकि अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है, जिससे

उसकी ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई है, जिससे यह प्रकट हो कि अप्रार्थी शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असक्षम हो एवं कोई काम करने की स्थिति में नहीं हो। प्रत्येक पति का यह नैतिक व विधिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो।

**11.** ऐसी स्थिति में उक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया ने भरण पोषण की राशि के संबंध में अपनी साक्ष्य में 20,000/– रुपये की आवश्यकता होना बताया है, परंतु प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीया आरती को प्रतिमाह 3,000/– रुपये भरण पोषण दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## :: आदेश ::

**12.** अतः प्रार्थीया श्रीमती आरती पत्नी सोनू, आयु वयस्क, निवासी गणेशपुरा हाल पुत्री राजेन्द्र कुमार मीणा निवासी नवरतनपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0 की ओर से अप्रार्थी सोनू मीणा पिता रतिराम, आयु वयस्क, निवासी गणेशपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते भरण–पोषण अंतर्गत धारा 125 दं0प्र0सं0 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी सोनू प्रार्थीया श्रीमती आरती को 3,000/– अक्षरे तीन हजार रुपये प्रतिमाह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 22.03.2024 से अदा करेगा। यदि पूर्व में अंतरिम भरण पोषण के रूप में प्रार्थीया को कोई राशि अदा की जा रही है तो उक्त राशि इस राशि में समायोजित समझी जायेगी। अप्रार्थी प्रत्येक माह की 10 तारीख को भरण पोषण की राशि प्रार्थीया को अदा करें, आज दिनांक तक की बकाया राशि का भुगतान अप्रार्थी 02–02 माह की 04 समान किश्तों में अदा करेगा।

{राजीव चौधरी}

**13.** आदेश आज दिनांक 26.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{राजीव चौधरी}